रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10, 1984 (कार्तिक 19, 1906)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 1984 (KARTIKA 19, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . . | 811 |
| भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . | 1405 |
| भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . | — |
| भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . . . | 1829 |
| भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . | * |
| भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . . | * |
| भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . . . | * |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . | 2801 |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . | 3261 |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) . | 193 |
| भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . . . | 403 |
| भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . | 26679 |
| भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . . . | 933 |
| भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . . | 175 |
| भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 2693 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . | 173 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक | * |


*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

# CONTENTS


| | PAGES |
|---|---|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. | 811 |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. .. .. | 1405 |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. .. .. | — |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. .. | 1829 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. .. .. .. | 2801 |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities(other than the Administration of Union Territories) .. .. .. .. .. | 3261 |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) .. .. | 193 |
| PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. .. | 403 |
| PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. .. .. .. .. | 26679 |
| PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. .. | 933 |
| PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. | 175 |
| PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. | 2893 |
| PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .. | 173 |
| PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc, both in English and Hindi .. | * |


* Folio Nos. not received.

# भाग I—खण्ड 1

# [PART I—SECTION 1]

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 1984

संकल्प

सं० अल्कली/9(1)/84.—भारत सरकार ने अल्कली एवं सम्बद्ध रसायनों की विकास नामिका में निम्नलिखित और सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है :—

| | |
|---|---|
| 1. श्री एस० पी० श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक | गुजरात अल्कली और केमिकल्स लि०, पी० ओ० पेट्रोकेमिकल्स—391346 बड़ौदा |
| 2. श्री एस० श्रीनिवासन, प्रबंध निदेशक | ट्रावनकोर केमिकल्स एवं मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, पोस्ट बाक्स सं० 19, कालामा स्सेरी—683104 (केरल) |
| 3. श्री पी० एन० वेंकटनारायणन, उपाध्यक्ष और प्रधान | तूतिकोरिन अल्कली एवं केमिकल्स लि०, 474, अन्ना सलाय नानानाम, मद्रास—600032 |
| 4. डा० एच० एस० राव, प्रबंध निदेशक | राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम, 20–22, जामरूदपुर सामुदायिक केन्द्र, कैलाश कालोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110048 |
| 5. डा० ए शाह, उप-प्रधान | नवीन फ्लुओरिन इंडस्ट्रीज, मफतलाल केन्द्र, नारीमान प्वाइंट, बम्बई—400021 |
| 6. प्रतिनिधि | ससर्स डब्ल्यू० आई०एम०सी०ओ० बम्बई |
| 7. प्रतिनिधि | इंडियन केमिकल मन्यूफक्चर्स एसोसिएशन, बम्बई |
| 8. प्रतिनिधि | पूर्वी क्षेत्र में प्लास्टिक क्लोरिन प्लाण्ट्स/नया प्रवेश |

यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग—1, खण्ड—1 में मई, 1984 को प्रकाशित संकल्प का परिवर्धन है और इसके द्वारा उसमें कोई अस्वीकरण नहीं किया गया है।

आदेश :

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० गंजवाल,
निदेशक (प्रशासन)

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1984

संकल्प

सं० ई-11015/12/84-हिन्दी —भारत सरकार ने खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के दिनांक 18 जून, 1983 के संकल्प सं० ई-11011/3/83-हिन्दी द्वारा गठित खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 31 जनवरी, 1985 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी राज्य-क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, सेवा नियंत्रक, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

एच० डी० बंसल,
संयुक्त सचिव,

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली-1 दिनांक 19 सितम्बर 1984

संकल्प

सं० 5-टी-कार्य (1)/78-खण्ड—पर्यटन सलाहकार बोर्ड के गठन के बारे में पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 29 जुलाई, 1983 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए, पैरा IV के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ लिया जाए :

"V भारतीय होटल और रेस्तरां संघ के महासंघ के अध्यक्ष तथा भारतीय यात्रा अभिकर्ता संघ के अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए हवाईजहाज द्वारा यात्रा करने के हकदार होंगे और भारत सरकार के उच्चतम ग्रेड के अधिकारियों को यथा स्वीकार्य दैनिक भत्ता ले सकेंगे। पर्यटन विभाग इस संबंध में होने वाले व्यय को वहन करेगा।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए और इसे आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नीतिश सेनगुप्ता
पर्यटन के महानिदेशक और पदेन अपर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्तूबर 1984

संकल्प

सं० पी० डी2 आ०/55/82 यू० एस० (आई०)—भारत में दस महापत्तन हैं और एक नया महापत्तन न्हावा शेवा में निर्माणाधीन है और यह सातवीं योजना में चालू होगा। दस महापत्तनों में लगभग 2,800 मध्यम और वरिष्ठ स्तर के प्रबंधकीय कार्मिक हैं। इन महापत्तनों के अलावा विभिन्न समुद्र किनारे स्थित राज्यों के नियंत्रण और प्रशासन के अधीन बड़ी संख्या में मझौले और लघु पत्तन हैं। देश के व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन और इन पत्तनों द्वारा पुरिक्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महापत्तनों और मझौले तथा लघु पत्तनों का कुशल संचालन जरूरी है। पत्तनों में प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर लगी जनशक्ति कार्य में सुधार लाने के लिए गुणवत्ता लाना एक निर्णायक मुद्दा है। कार्गो हैंडलिंग और नौवहन की टेकनालोजी में होने वाले परिवर्तन और विभिन्न पत्तन प्रचालनों के लिए आधुनिक और नाजुक उपकरणों की बढ़ती खरीद से यह जरूरी हो गया है कि पत्तनों पर लगाई गई जनशक्ति को आवश्यक कुशलता प्राप्त करनी चाहिए और उपयुक्त प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण द्वारा अपनी कुशलता को भी अद्यतन बनाना चाहिए।

2. विभिन्न स्तरों पर पत्तन प्रबन्ध की बढ़ी हुई कुशलता और उत्पादकता का उद्देश्य प्राप्त करने की भूमिका का अधिक महत्व हो गया है और साथ ही यह टेकनालाजी में परिवर्तन से काफी जटिल हो गया है। आधुनिक जहाज बनाने का खर्च और इसे पत्तन में रखने और पत्तन से होकर आने-जाने वाली सामग्री के बढ़ते हुए मूल्य से इस बात के महत्व पर बल देना जरूरी हो गया है कि पत्तनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को उचित कुशलता प्रदान की जाए।

3. अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन और बहुमुखी परिवहन टेकनालाजी के बदलते स्वरूप में नम्यशील और तत्पर प्रबंध की जरूरत है जिससे उन्हें अद्यतन जरूरत की नियमित रूप से जानकारी हो और इस दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इस दिशा में असफलता का अर्थ यह होगा कि पत्तन सुविधाएं यातायात की जरूरत से काफी पीछे रह जाएंगी। जिससे जमाव बढ़ेगा, घटिया सेवा उपलब्ध रहेगी और हैंडलिंग पर अधिक व्यय बढ़ेगा।

4. इन परिवर्तनों के साथ तालमेल कायम रखने और पत्तनों की कुशलता और उत्पादकता बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने के लिए प्रबन्ध विकास में बड़े प्रयास की जरूरत है। इसमें पत्तन प्रबन्धकीय कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुधरी सुविधा की जरूरत है जो इस समय काफी सीमित है। इन्हें समुद्र उद्योग में अनवरत समकालिक पत्तन टेकनालाजी और नई पद्धति का सामना करना पड़ता है। कुछ महापत्तनों के तत्वावधान में पत्तन प्रबंध प्रशिक्षण दिया जाता है और इन प्रयासों से प्रगति हुई है और इसमें प्रगति भी हुई है। तथापि यह महसूस किया जाता है कि प्रशिक्षण की बढ़ती जरूरतें पूरी करने और पत्तन प्रबंधकों और सम्बद्ध कार्मिकों के कार्य में सुधार लाने के लिए यह जरूरी है कि प्रशिक्षण के लिए मौजूदा सुविधाओं में काफी वृद्धि की जाए।

5. उपरोक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने मद्रास में एक राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित होगा :—

(I) प्रशिक्षण जरूरतों का विश्लेषण और पता लगाना,

(II) पता लगाए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना,

(III) पत्तन प्रबन्धकों को प्रशिक्षण देना और उसकी योजना बनाना,

(IV) पत्तन उद्योग के विकास और प्रबन्ध से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करना, प्रायोजित करना या उसकी योजना बनाना, और

(V) अनुसंधान करना और सलाह, सूचना और आंकड़ों सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना।

राष्ट्रीय संस्थान का प्रशासन एक रजिस्टर्ड स्वायत्त सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। यह सोसाईटी सरकारी परिषद के माध्यम से कार्य करेगी। इसमें अनेक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। इसमें सरकार, योजना आयोग, महापत्तन न्यास, पत्तन उपभोक्ता संगठन, भारतीय नौवहन निगम और देश में प्रबन्धक संस्थानों के सदस्य होंगे।

6. सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, सोसाइटी और सरकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों संघ क्षेत्र प्रशासनों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी जाए।

पी० एम० अब्राहम
अपर सचिव

---

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय,

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1984

सं० क्यू०—16012/1/84—डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०).—अखिल भारतीय नियोजक संगठन के श्री सुधीर जालान के राष्ट्रीय श्रम संस्थान की महा परिषद से त्यागपत्र के परिणामस्वरूप, भारत सरकार अखिल भारतीय नियोजक संगठन के श्री बी० एन० सेठी को राष्ट्रीय श्रम संस्थान की महा परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

अतः भारत के राजपत्र के भाग—I, खण्ड—1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० जैड—16015/1/82—डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०) दिनांक 29/30 अक्तूबर, 1982 में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं :—

वर्तमान प्रविष्टि के लिए :—

नियोजकों के प्रतिनिधि :

(8) श्री सुधीर जालान
मसर्स मेस्टोबेल इण्डिया लिमिटेड,
अखिल भारतीय नियोजक संगठन,
8, बी० बी० डी० बाग ईस्ट,
कलकत्ता—700001

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रति स्थापित की जायेगी:—
नियोजकों के प्रतिनिधि:

(8) श्री बी० एन० सेठी,
सेक्रेटरी,
अखिल भारतीय नियोजक संगठन
फडरेशन हाउस,
तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली—110001

शीला चोपड़ा, निदेशक

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th October 1984

RESOLUTION

No. Alk/9 (1)/84/3384.—Government of India have decided to include the following members in the composition of the Development Panel for Alkali & Allied Chemicals :—

| | |
|---|---|
| 1. Shri S. P. Srivastava, Executive Director | Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., P. O. Petrochemicals-391346, Baroda. |
| 2. Shri S. Srinivasan, Managing Director | Travancore Chemicals & Manufacturing Co. Ltd., Post Box No. 9, Kalamasserry-683104 (Kerala). |
| 3. Shri P. N. Vedanarayanan, Vice-Chairman and President | Tuticorin Alkalies and Chemicals Ltd., 474, Anna Salai Nandanam, Madras-600035. |
| 4. Dr. H. S. Rao, Managing Director | National Research & Development Corporation, 20-22, Zamroodpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi-110048. |
| 5. Dr. A. Shah, Vice President. | Navin Fluorine Industries, Mafatlal Centre, Nariman Point, Bombay-400021. |
| 6. A representative from | M/s. WIMCO, Bombay |
| 7. A representative from | Indian Chemical Manufacturers' Association, Bombay. |
| 8. A representative from | Caustic-Chlorine plants in the eastern region/new entrants. |

This is in addition to and not in derogation of the earlier Resolution dated May, 1984 published in Part-I, Section-I of the Gazette of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL Director (Administration

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF FOOD)

New Delhi, the 8th October 1983

RESOLUTION

No. E.11015|12|84-Hindi.—Government of India have decided to extend the tenure of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Food and Civil Supplies constituted vide Ministry of Food and Civil Supplies Deptt. of Food's Resolution No. E-11011|3|83-Hindi, dated the June, 1984 upto 31st January, 1985.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Government, Union Territory Administrations, Prime Minister Secretariat Cabinet Secretariat, Department of Perliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Controller of Accounts, Ministry of Food & Civil Supplies and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

H. D. BANSAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 19th September 1984

RESOLUTION

No. 5/T-Con.(1)|78-Pt.—In partial modification of Ministry of Tourism and Civil Aviation Resolution of even number dated 29th July, 1983 regarding constitution of Tourism Advisory Board following para is added after para IV.

"V. The President Federation of Hotel and Restaurant Association of India and President Travel Agents Association of India will be entitled to travel by Air for attending the meetings of the Board and will draw daily allowances as admissible to the highest grade of the officers of Government of India. The expenditure on this account will be borne by Department of Tourism."

ORDER

ORDERED that a copy of the resolutionn be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

N. K. SENGUPTA, Director General Tourism and Ex-officio Addl. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(PORTS WING)

New Delhi, the 20th October 1984

RESOLUTION

No. PDO|55|82-US(I).—There are ten major Ports in India and a New major Port at Nhava Sheva is under construction and will become operational during the VII Plan. In the ten major Ports, there are about 2,800 middle and senior level managerial personnel. In addition to the major Ports, there is a large number of intermediate and minor Ports under the control and administration of the various maritime States. The efficient functioning of major Ports as well as the intermediate and minor Ports is very vital for the promotion of trade and commerce of the country and the economic development of the hinterland of these Ports. The quality of the manpower employed in the ports at various levels of management is a crucial factor in improving their performance. The changes taking place in the technology of cargo handling and of shipping and the increasing acquisition of modern and sophisticated equipments for verious port operations make it imperative that the manpower employed at the Port should acquire the necessary skills and also up-date their skill by suitable training and re-training.

2. The role of port management at various levels in achieving the objective of increased efficiency and productivity has acquired added importance, and has

at the same time, become more complex with technological changes. The cost of running a modern ship and of keeping it in a Port and the rising unit value of commodities passing through ports have served to emphasise the importance that needs to be attached to equipping the staff working in the Ports with appropriate skills.

3. The changing forms of international shipping and multimodal transport technology demand flexible and responsive management, regularly briefed on the latest requirements and trained to look ahead. Failure in this regard means that the port facilities will lag behind the needs of the traffic, resulting in congestion, poor service and high handling costs.

4 To keep pace with these changes, and to maintain and improve efficiency and productivity of Ports, a major effort in Management Development is called for. This calls for adequate improved facilities of training, which are limited now, to the port managerial personnel with continued exposure to contemporary port technology and new systems in the maritime industry. Under the auspices of some of the major Ports, Port Management Training is being conducted and these efforts have made progress and also achieved a measure of success. It is, however, felt that in order to meet the growing training needs and to maximise the performance of port managers and related personnel, it is necessary to augment substantially the existing facilities for training.

5. With the above purpose, Government of India have decided to set up a National Institute of port. Management at Madras with the following broad objectives:—

(i) to analyse and identify training needs;

(ii) to develop training courses for meeting the identified training courses;

(iii) to provide and plan the training of port managers;

(iv) to undertake, sponsor or plan research programmes relating to development and management of port industry; and

(v) to carry out research and provide advice, information and data services.

The National Institute will be administered by a registered autonomous Society. The Society will function through aGoverning Council which will have broad-based representation drawn from person in Government, Planning Commission, Major Port Trusts, Port User Organisation, Shipping Corporation of India and Management institutes in the country.

6. The Chairman of the Society and the Governing Council will be the Secretary, Ministry of Shipping and Transport.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries and Departments of the Government of India, State Governments, Union Territories Administrations and others concerned.

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

## MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

## (DEPARTMENT OF LABOUR)

New Delhi, the 15th October 1984

No. Q-16012|1|84 WL(NLI).—Consequent upon the acceptance of resignation of Shri Sudhir Jalan of All India Organisation of Employers from the General Council of National Labour Institute, the Government of India hereby appoint Shri B. M. Sethi of All India Organisation of Employers as Member of the General Council of National Labour Insitute.

The following changes shall accordingly be made in the Ministry of Labour Notification No. Z-16015|1|82-WE (NLI) dated 29|30th October, 1982 published in the Gazette of India Part I Section 1 as amended from time to time.

For the existing entry viz:

EMPLOYERS' REPRESENTIVE :

(8) Shri Sudhir Jalan
M|s. Bestobell India Ltd.,
All India Organisation of Employers,
8, BBD Bag East,
CALCUTTA-700001.

The following entry shall be substituted:

EMPLOYERS' REPRESENTATIVE:

(8) Shri B.M. Sethi
Secretary
All India Organisation of Employers,
Federation House, Tansen Marg,
New Delhi-110001.

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984